

जल शक्ति मंत्रालय  
मांग संख्या 63  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26967.39	...	26967.39	128024.45	...	128024.45	102047.90	...	102047.90	134413.12	...	134413.12
वसूलियां	-11000.09	...	-11000.09	-67994.00	...	-67994.00	-51011.00	...	-51011.00	-67192.00	...	-67192.00
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	15967.30	...	15967.30	60030.45	...	60030.45	51036.90	...	51036.90	67221.12	...	67221.12
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	24.14	...	24.14	25.35	...	25.35	25.90	...	25.90	29.12	...	29.12
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन</b>												
2. जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन												
2.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	10999.94	...	10999.94	50000.00	...	50000.00	45011.00	...	45011.00	60000.00	...	60000.00
2.02 अंतर्राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र	36.00	...	36.00	47.00	...	47.00	29.00	...	29.00	57.00	...	57.00
2.03 मिशन प्रबंधन	1.97	...	1.97	14.70	...	14.70	14.70	...	14.70	14.70	...	14.70
2.04 संस्थानों इत्यादि को सहायता	4.77	...	4.77	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2.05 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी	0.43	...	0.43	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05	...	4.05
2.06 मानव संसाधन विकास	0.06	...	0.06	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	168.00	...	168.00
2.07 निगरानी एवं मूल्यांकन	6.35	...	6.35	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
2.08 सूचना, शिक्षा एवं संचार	21.13	...	21.13	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
2.09 प्रबंधन सूचना प्रणाली	0.36	...	0.36	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	12.00	...	12.00
2.10 अनुसंधान	0.25	...	0.25	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
2.11 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)	3.05	...	3.05	15.50	...	15.50	11.50	...	11.50	15.50	...	15.50
2.12 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - सामान्य कार्यक्रम	10923.85	...	10923.85	49757.75	...	49757.75	44783.75	...	44783.75	59638.75	...	59638.75

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2.13 घटा: केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरी की गई राशि	-10999.94	...	-10999.94	-50000.00	...	-50000.00	-45011.00	...	-45011.00	-60000.00	...	-60000.00
<i>निवल</i>	<i>10998.22</i>	...	<i>10998.22</i>	<i>50011.00</i>	...	<i>50011.00</i>	<i>45011.00</i>	...	<i>45011.00</i>	<i>60000.00</i>	...	<i>60000.00</i>
<b>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)</b>												
3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण												
3.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण (सीआरआईएफ)	...	...	...	9994.00	...	9994.00	6000.00	...	6000.00	7192.00	...	7192.00
3.02 निगरानी एवं मूल्यांकन	0.17	...	0.17	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
3.03 मानव संसाधन विकास	0.12	...	0.12	2.00	...	2.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
3.04 अनुसंधान	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	20.15	...	20.15
3.05 सूचना - शिक्षा एवं संचार	14.23	...	14.23	75.00	...	75.00	20.55	...	20.55	71.16	...	71.16
3.06 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण	1.25	...	1.25	2.00	...	2.00	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
3.07 व्यावसायिक सेवाएं	1.18	...	1.18	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
3.08 ऋण पर ब्याज	1031.05	...	1031.05	1033.30	...	1033.30	1033.06	...	1033.06	1033.30	...	1033.30
3.09 कार्यक्रम घटक	844.18	...	844.18	8875.80	...	8875.80	4940.19	...	4940.19	6060.39	...	6060.39
3.10 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक	3052.90	...	3052.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.11 कम-वास्तविक वसूलियां	-0.15	...	-0.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.12 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से कम राशि की प्राप्ति	...	...	...	-9994.00	...	-9994.00	-6000.00	...	-6000.00	-7192.00	...	-7192.00
<i>निवल</i>	<i>4944.94</i>	...	<i>4944.94</i>	<i>9994.10</i>	...	<i>9994.10</i>	<i>6000.00</i>	...	<i>6000.00</i>	<i>7192.00</i>	...	<i>7192.00</i>
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>15943.16</b>	...	<b>15943.16</b>	<b>60005.10</b>	...	<b>60005.10</b>	<b>51011.00</b>	...	<b>51011.00</b>	<b>67192.00</b>	...	<b>67192.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>15967.30</b>	...	<b>15967.30</b>	<b>60030.45</b>	...	<b>60030.45</b>	<b>51036.90</b>	...	<b>51036.90</b>	<b>67221.12</b>	...	<b>67221.12</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. जलापूर्ति और स्वच्छता	1146.02	...	1146.02	19133.32	...	19133.32	35001.45	...	35001.45	55151.61	...	55151.61
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1146.02</b>	...	<b>1146.02</b>	<b>19133.32</b>	...	<b>19133.32</b>	<b>35001.45</b>	...	<b>35001.45</b>	<b>55151.61</b>	...	<b>55151.61</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	24.14	...	24.14	25.35	...	25.35	25.90	...	25.90	29.12	...	29.12
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>24.14</b>	...	<b>24.14</b>	<b>25.35</b>	...	<b>25.35</b>	<b>25.90</b>	...	<b>25.90</b>	<b>29.12</b>	...	<b>29.12</b>
<b>अन्य</b>												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5897.18	...	5897.18	4997.80	...	4997.80	6615.80	...	6615.80
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	14717.35	...	14717.35	34256.60	...	34256.60	10891.75	...	10891.75	5174.59	...	5174.59
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	79.79	...	79.79	718.00	...	718.00	120.00	...	120.00	250.00	...	250.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>14797.14</b>	...	<b>14797.14</b>	<b>40871.78</b>	...	<b>40871.78</b>	<b>16009.55</b>	...	<b>16009.55</b>	<b>12040.39</b>	...	<b>12040.39</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>15967.30</b>	...	<b>15967.30</b>	<b>60030.45</b>	...	<b>60030.45</b>	<b>51036.90</b>	...	<b>51036.90</b>	<b>67221.12</b>	...	<b>67221.12</b>

1. **सचिवालय:** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित इस स्कीम में सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण जनता को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने को अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी। खुले में शौचमुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ओ.डी.एफ. स्थिति बने रहना सुनिश्चित करने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं के साथ देश के सभी गाँवों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है।